


II/निग/सतना/2018/0/352

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

जिला रीवा म0प्र0



1. इन्द्रभान सिंह तनय शिवलाल सिंह उम्र 35 साल पेशा खेती
2. जगदीश सिंह तनय देवनाथ सिंह उम्र 63 साल पेशा खेती
3. बृजभान सिंह तनय देवनाथ सिंह उम्र 48 साल पेशा खेती

सभी निवासी ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

..... आवेदकगण

बनाम

गिरजादेवी पत्नी यदुवंश सिंह उम्र करीब 55 साल पेशा खेती नि0 ग्राम  
ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 .... अनावेदक

निगरानी विरुद्ध सीमांकन आदेश  
राजस्व निरीक्षक बृत्त मौहारी कटरा  
तह0 अमरपाटन जिला सतना  
दिनांक 20.6.2017 जो सीमांकन  
प्रक0 क0 43/अ12/16-17 मे  
पारित किया जाकर अनावेदक द्वारा  
कराये गये सीमांकन की पुष्टि की  
गई

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0  
भू रा0 संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत  
है:-

- 1- यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प्रश्नाधीन सीमांकन पुष्टिकरण आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।



307

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मांक II / निग 0 / सतना / 2018 / 01352

जिला सतना

इन्द्रभान सिंह / गिरजादेवी सिंह

(1)	(2)	(3)
18.12.18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मौहारी कटरा, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 43/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 12.01.19 को कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p style="text-align: center;"></p>	